

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 818926 /

जबलपुर, दिनांक 5/12/2023

श्री पुहप सिंह उइके, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम-31 असाधारण अवकाश (1) से (5) के अनुक्रम में (ब) (जब अन्य कोई अवकाश की पात्रता तो है, परन्तु सम्बन्धित कर्मचारी लिखित में असाधारण अवकाश की मांग करें) के अनुसार दिनांक 03.10.23 का आकस्मिक अवकाश निरस्त करते हुए दिनांक 03.10.2023 से 06.10.2023 तक 4 दिन का असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) स्वीकृत किया गया।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय
के आदेशानुसार

सही / -

(संदीप शर्मा)


प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)

पृष्ठांकन क्रमांक 818927 /

जबलपुर, दिनांक 5/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री पुहप सिंह उइके, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अनिल कुमार)
रजिस्ट्रार (न्यायिक-एक)